

RR No. 2606

10-2-2012

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक - 6 FEB 2012

-: आदेश :-

इस विभाग के आदेश समसंख्यक आदेश दिनांक 7.12.2011 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :-

क.सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	28/04	श्री शैलेन्द्र श्रीमाली आर.ए.एस. शासन उप सचिव आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एन-9, गांधीनगर	30.11.2015
2	45/2010	श्री बच्छराज सोनी मुख्य लेखाधिकारी पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एन-26, गांधीनगर	28.2.2015
3	43/2011	श्री राकेश कुमार माथुर मुख्य रसायन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर	2/5, हीराबाग	30.6.2022

आज्ञा से

ए

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, जीएफ एण्ड आर, वित्त विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. संबंधित अधिकारीगण।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि.।
18. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RR No. 2603
10-2-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक - 6 FEB 2012

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	37/2010	श्री गणपति महावर आर.पी.एस. डिप्टी कमाण्डेन्ट 5वीं बटालियन आर.ए.सी., घाटगेट, जयपुर	एन-9, गांधीनगर (एम-14, गांधीनगर के स्थान पर)	31.7.2026
2.	46/2010	श्री जे. आर. लोहिया अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	II/19, गांधीनगर	30.9.2014
3.	9/2011	श्री पियुष कुमार गुप्ता अधिकाधी अभियन्ता, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, वास्ते मुख्य अभियन्ता प्रशासन एवं तकनीकी सदस्य, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	एन-26, गांधीनगर	31.5.2018
4.	10/2011	डॉ० रणजीत सिंह उप निदेशक पंजीयन, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	II/44, गांधीनगर	30.9.2019
5.	44/2011	श्री समीर शर्मा उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर	102, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	30.9.2031
6.	45/2011	श्री जितेन्द्र ढाका अधिकाधी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड प्रथम, जयपुर	701, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	31.10.2030
7.	46/2011	श्री रणधीर सिंह आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	703, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	31.3.2016
8.	47/2011	श्री प्रकाश अम्बेश अधिकाधी अभियन्ता जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (नितिगत निर्णय के अनुसार)	704, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	31.10.2033
9.	48/2011	श्री ताराचन्द जाटोल अधीक्षण अभियन्ता पीएमजीएसवाई मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	705, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	30.6.2015

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवस के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या 5, 6, 7, 8 तथा 9 से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. कमाण्डेन्ट 5वीं बटालियन आर.ए.सी., घाटगेट, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
7. कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक वास्ते मुख्य अभियन्ता, प्रशासन एवं तकनीकी सदस्य, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड प्रथम, जयपुर।
11. निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
12. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
14. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
17. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
18. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
19. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
21. श्री गणपति महावर, आर.पी.एस. डिप्टी कमाण्डेन्ट 5वीं बटालियन आर.ए.सी., घाटगेट, जयपुर-कृपया परिवर्तित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
22. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
23. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रबि।
24. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
25. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव